

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9719/2015-16/205

दिनांक 18/3/16

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,  
धरियावाद, प्रतापगढ़

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सत्र 2014-15 की द्वितीय किश्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त निर्देशानुसार सत्र 2014-15 की द्वितीय किश्त के पुनर्भरण के लिए निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जा रहा है।

मांग संख्या-30 बजट मद 2202-01-796-(11)-[00]-57 (आयोजना व्यय) (राशि रूपयों में)

क्रस	ऑफिस आई.डी.	अति./वरिष्ठ उप जि. शि.अ. कम बी.ई.ई.ओ कार्यालय का नाम	सत्र 2014-15 के लिए राशि आवंटन	
			द्वितीय किश्त	योग
1	1688	बीईईओ.धरियावाद	42735	42735
योग			42735	42735

(रूपये बयालीस हजार सात सौ पैंतीस मात्र)

आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं आवंटित राशि की सीमा में इस कार्यालय के आरटीई अनुभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करते हुए किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

लेखाधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग(निदेशक महोदय)।
4. अनुभाग अधिकारी, शिक्षा का अधिकार अनुभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9719/2015-16/203-04 दिनांक 18/3/16

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा -

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,  
पंचायत समिति -

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु सत्र 2015-16 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन।


विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त प्रतिपूर्ति से वंचित के भुगतान हेतु सत्र 2015-16 प्रथम किस्त के पुनर्भरण के लिए निर्देशानुसार निम्नलिखित लेखामद में राशि का आवंटन संलग्न प्रपत्र अनुसार किया जा रहा है।

क्र.स.	बजट मद	सत्र 2015-16 की प्रथम किस्त के लिए आवंटित राशि रूपयों में
1	2202-01-796-11-00-57(आयोजना व्यय)	2,53,485
	योग	

(रूपये दो लाख तिरपन हजार चार सौ पिच्चासी मात्र)


आवंटित राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये। संलग्न-उपरोक्तानुसार कार्यालय वार सूची।

  
लेखाधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग(निदेशक महोदय)।
4. सहायक निदेशक,(आरटीई)।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

  
लेखाधिकारी

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9719/2015-16/203-4/दिनांक 18/3/16

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रविष्ट दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालको के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु सत्र 2015-16 की प्रथम किश्त के लिए राशि आवंटन

मांग संख्या-30 लेखामद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, (11)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण, [00], 57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (आयोजना व्यय)

क्र.स.	ऑफिस कोड	कार्यालय का नाम		आवंटित राशि रुपयों में
1	1680	BEEO RASHMI	Chittorgarh	45650
2	1672	BEEO SAGWARA	Dungarpuar	136260
3	1669	BEEO ASPUR	Dungarpuar	30100
4	1684	BEEO PRATAPGARH	Pratapgarh	21475
5	1448	BEEO KHERWARA	Udaipur	10800
6	1446	BEEO MAVLI	Udaipur	9200
TOTAL				253485

(अक्षरे रूपये दो लाख तिरपन हजार चार सौ पिच्चासी मात्र)

  
लेखाधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर